न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी गढ़वाल।
आपराधिक वाद संख्या 845 सन् 2022
अनिल सिंह बनाम विनोद कुमार बहुगुणा।

<u>दिनांक 02.08.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र कागज संख्या 37ब द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुकरेती प्रस्तुत। सुना। न्यायहित में आज के लिये स्वीकृत।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि हस्तगत वाद अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत चला आ रहा है। न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2023 से निरंतर कई तिथियों में अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट की आदेशिकायें निर्गत करी जा रही हैं जो कि तामीलशुदा न्यायालय को वापस प्राप्त नहीं हो रही हैं। उक्त के कारण हस्तगत वाद की कार्यवाही अनावश्यक रूप से लंबित चली आ रही है। अभियुक्त के विरूद्ध विगत दो तिथियों में जारी गैर जमानती वारण्ट की आदेशिका तामील/अदम तामीली की आख्या के साथ वापस प्राप्त नहीं है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध पुनः गैर जमानती वारण्ट जारी हो। उक्त आदेशिकायें इस आदेश की प्रति के साथ संलग्न कर एसएसपी देहरादून को तामीली कराये जाने हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाये कि उपरोक्त आदेशिकाओं की तामीली कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारी को आदेशित करें एवं तामीली के प्रयास हेतु रोजनामचा आम की प्रति भी इस न्यायालय को अगली नियत तिथि से पूर्व वापस प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

परिवादी आवश्यक पैरवी तीन दिन के भीतर लेना सुनिश्चित करे।

पत्रावली वास्ते अभियुक्त की उपस्थिति दिनांक 17.08.2023 को पेश हो।

(प्रतीक मथेला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पौड़ी गढ़वाल।